

(ख) क्या सदर पुल की गारन्टी समाप्त हो चुकी है ।

(ग) क्या सदर पुल पर आवागमन करने वाली मोटरों पर टोल टैक्स लिया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो किस दर पर ;

(ङ) क्या सदर टैक्स वसूल करने के लिये ठेका दिया जाता है ;

(च) इस प्रकार का टोल टैक्स अन्यत्र किन-किन पुलों पर लिया जाता है ; और

(छ) क्या सदर टोल टैक्स बन्द करने की शासन की नीति है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौबहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ग). जी, हां ।

(ख), (घ) और (ङ) : प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन में प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

(च) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ७ में तिलवाराघाट और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या २६ में बाहरेवा नदी पर के पुलों पर टोल टैक्स लिया जाता है । ये पुल इन रास्तों को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किये जाने से पूर्व प्रदेश सरकारों द्वारा निर्मित किये गये थे ।

(छ) केन्द्रीय सरकार का कोई भी टोल टैक्स नहीं है और ये टैक्स प्रदेश सरकारों द्वारा पुलों के निर्माण में व्यय पूरा करने के लिए एकत्र किये गये ऋण की अदायगी के लिये कभी-कभी लगाये जाते हैं ।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स के बारे में सरकार की सामान्य नीति अभी विचाराधीन है ।

अन्तर्राज्य परिवहन आयोग

५८१. श्री बड़े: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विपत्र इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिशन के समक्ष कौन-कौन से (१)

अन्तर्राज्य मार्गों पर यात्री बसें चलाने और (२) अन्तर्राज्य मार्गों की गाड़ियों का एक्सटेंशन करने के बारे में मुझाव वर्ष १९५७ से १९६१ तक प्राप्त हुए ;

(ख) उपरोक्त (१) के मुझावों में से कौन-कौन से स्वीकार किये गये और कौन-कौन से अस्वीकार किये गये ; और

(ग) स्वीकृत मुझावों में कौन-कौन से अभी तक कार्यान्वित नहीं हो सके ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौबहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ८ मार्च, १९५८ (जिस दिन अन्तर्प्रदेशीय परिवहन आयोग की स्थापना हुई थी) से १९६१ के साल के अन्त तक आयोग को २२ प्रार्थना पत्र जिनमें नये अन्तर्प्रदेशीय मार्गों पर बस सर्विस शुरू करने का खास तौर मे मांग की गई थी और ८ प्रार्थना पत्र जिनमें मौजूदा अन्तर्प्रदेशीय मार्गों पर बस सर्विस को आगे बढ़ाने व उसमें अदल-वदल करने के विषय के मुझाव दिये गये थे, प्राप्त हुए ।

(ख) व (ग). नये रास्तों पर बस सर्विस शुरू करने के बारे में उक्त २२ प्रार्थना पत्रों में से ११ प्रार्थना पत्र मंजूर किये गये लेकिन बस सर्विस अभी सिर्फ दो रास्तों पर शुरू की गई है । आशा है कि यह बाकी ९ रास्तों पर जल्दी ही शुरू कर दी जायेगी बाकी ११ प्रार्थना पत्रों में से २ प्रार्थना पत्र सम्बन्धित रास्तों पर बस सर्विस के लिये पर्याप्त आवागमन न होने के कारण नामंजूर किये गये । शेष ९ प्रार्थना पत्रों पर प्रदेश परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा जिन के पास ये प्रार्थना पत्र आयोग द्वारा भेजे गये थे, विचार किया जा रहा है ।

Malaria Eradication Programme

582. **Shri Bagri:** Will the Minister of Health be pleased to state :

(a) the amount spent by Government on malaria eradication programme in Delhi, Himachal Pradesh,